"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 27] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 6 जुलाई 2018—आषाढ़ 15, शक 1940

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं श्रीमती सुष्मिता दीवान ध. प. श्री रूपेन्द्र कुमार दीवान, उम्र 49 वर्ष, निवासी- म. नं.-6-डी., सड़क-75, सेक्टर-06, भिलाई तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) की हूं. यह कि पूर्व में मेरा नाम सतभामा बाई, आत्मजा श्री बिरझू राम था तथा यही नाम मेरे समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों, जाति प्रमाण पत्र में व मेरे राजस्व रिकार्ड में सत्यभामा दर्ज है. मेरा विवाह 25-07-1998 को श्री रूपेन्द्र कुमार दीवान के साथ संपन्न हुआ. विवाह पश्चात् मेरे पूर्व नाम को परिवर्तित कर नया नाम श्रीमती सुष्मिता दीवान रख ली हूं. मेरा यह नया नाम पेनकार्ड, आधार कार्ड, परिचय पत्र, बैंक पासबुक व मेरे पति के सर्विस रिकार्ड में दर्ज है. इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूं.

अतः अब मुझे श्रीमती सुष्मिता दीवान ध. प. श्री रूपेन्द्र कुमार दीवान के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
सतभामा बाई, सत्यभामा पिता- श्री बिरझू राम निवासी-म. नं.-6-डी., सड़क-75, सेक्टर-06, भिलाई, तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)	श्रीमती सुष्मिता दीवान (Smt. Sushmita Diwan) पति- श्री रूपेन्द्र कुमार दीवान निवासी-म. नं.-6-डी., सड़क-75, सेक्टर-06, भिलाई, तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, संजय यादव आत्मज स्व. समारू यादव, उम्र 46 वर्ष, निवासी-वार्ड नं.-35, बांधा तालाब पार, गंजपारा, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूं. यह कि पूर्व में मेरा नाम तारकेश्वर यादव था तथा यह नाम मेरे समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों, शासकीय/अर्द्धशासकीय अभिलेखों व दस्तावेजों में दर्ज है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम संजय यादव रख लिया हूं मेरा यह नया नाम, मेरे आधार कार्ड, राशन कार्ड व मेरे पुत्र के शालेय रिकार्ड में दर्ज है. इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मुझे संजय यादव आ. स्व. समारू यादव के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	**नया नाम**
तारकेश्वर यादव पिता-स्व. समारू यादव निवासी-वार्ड नं.-35, बांधा तालाब पार, गंजपारा, तह. व जिला- दुर्ग (छ. ग.)	संजय यादव पिता-स्व. समारू यादव निवासी-वार्ड नं.-35, बांधा तालाब पार, गंजपारा, तह. व जिला- दुर्ग (छ. ग.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, राकेश कुमार चौबे, आत्मज श्री नथुनी चौबे, निवासी-क्वा. नं.-बी-2085, नर्मदा विहार, एनटीपीसी टाउनशिप, जमनीपाली, कोरबा, तहसील कटघोरा, जिला कोरबा (छ. ग.) का हूं. यह कि मेरा पूर्ण व सही नाम राकेश कुमार चौबे आ. श्री नथुनी चौबे है, किन्तु मेरे पासपोर्ट में मेरा नाम राकेश चौबे दर्ज है जो कि अपूर्ण है. मैं अपने पूर्ण व सही नाम “राकेश कुमार चौबे” को मेरे पासपोर्ट व अन्य शासकीय/अर्द्धशासकीय अभिलेखों व दस्तावेजों में दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मुझे राकेश कुमार चौबे आ. श्री नथुनी चौबे के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	**नया नाम**
राकेश चौबे पिता-श्री नथुनी चौबे निवासी-क्वा. नं.-बी-2085, नर्मदा विहार, एनटीपीसी टाउनशिप, जमनीपाली, कोरबा, तहसील-कटघोरा, जिला- कोरबा (छ. ग.)	राकेश कुमार चौबे पिता-श्री नथुनी चौबे निवासी-क्वा. नं.-बी-2085, नर्मदा विहार, एनटीपीसी टाउनशिप, जमनीपाली, कोरबा, तहसील-कटघोरा, जिला- कोरबा (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, अभिषेक कुमार सोनी आत्मज श्री राकेश कुमार सोनी उम्र 25 वर्ष, निवासी- म. नं.-368, अम्बेडकर चौक, वार्ड नं.-44, मरोदा टैंक, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूं. यह कि पूर्व में मेरी पुत्री का नाम "शारदा सोनी" था तथा यह नाम, उसके जन्म प्रमाण पत्र, अन्य प्रमाण पत्रों व दस्तावेजों में दर्ज है. मैं उसका पूर्व नाम परिवर्तित कर नया नाम "अनिका सोनी" रख लिया हूं. तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मेरी पुत्री को अनिका सोनी आ. श्री अभिषेक कुमार सोनी के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	**नया नाम**
शारदा सोनी पिता-श्री अभिषेक सोनी निवासी-म. नं.-368, वार्ड नं.-44, अम्बेडकर चौक, मरोदा टैंक, भिलाई, तह. व जिला- दुर्ग (छ. ग.)	अनिका सोनी पिता-श्री अभिषेक सोनी निवासी-म. नं.-368, वार्ड नं.-44, अम्बेडकर चौक, मरोदा टैंक, भिलाई, तह. व जिला- दुर्ग (छ. ग.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, रामचन्द आत्मज श्री राजकुमार निवासी -हथखोज पारा, उतई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूं. यह कि मेरे समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में व अन्य सभी आवश्यक अभिलेखों/दस्तावेजों में मेरा नाम रामचंद शर्मा दर्ज है. जो कि त्रुटिपूर्ण है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम रामचन्द रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मुझे रामचन्द आ. श्री राजकुमार के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	**नया नाम**
रामचंद शर्मा पिता-श्री राजकुमार निवासी-हथखोज पारा, उतई, तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)	रामचन्द पिता-श्री राजकुमार निवासी-हथखोज पारा, उतई, तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, राजकुमार आत्मज श्री रूपलाल उम्र 60 वर्ष, निवासी -हथखोज पारा, उतई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूं. यह कि मेरे पुत्र के समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों व अन्य आवश्यक दस्तावेजों/अभिलेखों में उसका नाम "मुकेश कुमार शर्मा" दर्ज है. मैं अपने पुत्र के नाम के साथ उपनाम "शर्मा" हटाकर नया नाम मुकेश कुमार रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मेरे पुत्र को मुकेश कुमार आ. राजकुमार के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	**नया नाम**
मुकेश कुमार शर्मा पिता-श्री राजकुमार निवासी-हथखोज पारा, उतई, तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)	मुकेश कुमार पिता-श्री राजकुमार निवासी-हथखोज पारा, उतई, तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, मनिन्दर कौर आत्मजा श्री संतोख सिंह भट्टी, उम्र 23 वर्ष, निवासी-एमआईजी-2/496,आमदीनगर, हुडको, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) की हूं. यह कि मेरे कुछ शैक्षणिक प्रमाण पत्रों व अन्य अभिलेखों/दस्तावेजों में मेरे पिताजी का नाम संतोख सिंह भट्टी (SANTOKH SINGH BHATTI) दर्ज है जो कि सही है, किन्तु मेरे कुछ प्रमाण पत्र व अन्य दस्तावेजों में मेरे पिताजी का नाम संतोख सिंह (SANTOKH SINGH) एवं संतोष सिंह भट्टी (SANTOSH SINGH BHATTI) दर्ज है जो त्रुटिपूर्ण है मैं अपने समस्त प्रमाण पत्रों व आवश्यक अभिलेखों/दस्तावेजों में मेरे पिताजी का सही व पूर्ण नाम संतोख सिंह भट्टी (SANTOKH SINGH BHATTI) दर्ज करवाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूं.

अत: अब मुझे मनिन्दर कौर आत्मजा श्री संतोख सिंह भट्टी (SHRI SANTOKH SINGH BHATTI) के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	**नया नाम**
मनिन्दर कौर पिता-संतोख सिंह संतोष सिंह भट्टी निवासी-एमआईजी-2/496, आमदीनगर, हुडको, भिलाई, तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)	मनिन्दर कौर पिता-श्री संतोख सिंह भट्टी (SHRI SANTOKH SINGH BHATTI) निवासी-एमआईजी-2/496, आमदीनगर, हुडको, भिलाई, तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, दुर्गेश वर्मा आत्मज श्री बिरझू वर्मा उम्र 26 वर्ष, जाति कुर्मी, निवासी-ग्राम-करहीडीह, पोस्ट-खौली, थाना मंदिरहसौद, तहसील आरंग, जिला-रायपुर (छ. ग.) का हूं. यह कि पूर्व में मेरा नाम पप्पू कुमार आ.बिरझू राम था, यह नाम मेरे समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों, शासकीय/अर्द्धशासकीय अभिलेखों/दस्तावेजों में दर्ज है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम दुर्गेश वर्मा आ. बिरझू वर्मा रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अतः अब मुझे दुर्गेश वर्मा आ. श्री बिरझू वर्मा के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

पप्पू कुमार
पिता-श्री बिरझू राम
निवासी-ग्राम-करहीडीह,
पोस्ट-खौली, थाना मंदिरहसौद,
तहसील-आरंग,
जिला-रायपुर (छ. ग.)

नया नाम

दुर्गेश वर्मा
पिता-श्री बिरझू वर्मा
निवासी-ग्राम-करहीडीह,
पोस्ट-खौली, थाना मंदिरहसौद,
तहसील-आरंग,
जिला-रायपुर (छ. ग.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, आशीष यदु आत्मज श्री देवेन्द्र कुमार यदु उम्र 35 वर्ष, निवासी-म. नं.-101/1, शंकर चौक, भाठागांव, रिंग रोड नं.-1, थाना पुरानी बस्ती, रायपुर (छ. ग.) का हूं. यह कि मेरे समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में, आधार कार्ड आदि में मेरा नाम आशीष कुमार आर्य, आ. देवेन्द्र कुमार यदु दर्ज है जो कि त्रुटिपूर्ण है. मैं अपने नाम के साथ "आर्य " उपनाम हटाकर "यदु" जोड़कर नया नाम/उपनाम आशीष यदु रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अतः अब मुझे आशीष यदु आ. श्री देवेन्द्र कुमार यदु के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

आशीष कुमार आर्य
पिता-श्री देवेन्द्र कुमार यदु
निवासी-म. नं.-101/1, शंकर चौक,
भाठागांव, रिंग रोड नं.-1,
थाना- पुरानी बस्ती,
तह. व जिला- रायपुर (छ. ग.)

नया नाम

आशीष यदु
पिता-श्री देवेन्द्र कुमार यदु
निवासी-म. नं.-101/1, शंकर चौक,
भाठागांव, रिंग रोड नं.-1,
थाना- पुरानी बस्ती,
तह. व जिला- रायपुर (छ. ग.)

विविध

अन्य सूचनाएं

कार्यालय उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं बिलासपुर (छ. ग.)

बिलासपुर, दिनांक 14 जून 2018

क्रमांक/परि./पुनर्जिवित/2018/1185.—वस्तुत: निषाद मछुवा सहकारी समिति मर्या. हरदी विकास खंड मस्तूरी जिला बिलासपुर पं. क्र. 302 दिनांक 10-08-2011 के संचालक मंडल का कार्यकाल समाप्त होने के कारण प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त किया गया था प्राधिकृत अधिकारी द्वारा संस्था को पंजीयन दिनांक से अकार्यशील एवं अंकेक्षण नहीं कराये जाने का लेख करते हुए निषाद मछुवा सहकारी समिति मर्या. हरदी को परिसमापन में लाये जाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया. तत्संबंध में निषाद मछुवा सहकारी समिति मर्या. हरदी को सपरिसमापन में लाने संबंधी छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक/उपबि/परि./2018/973 दिनांक 09-05-2018 के द्वारा दिया गया था. संस्था के सदस्यों के द्वारा उक्त कारण बताओ पत्र के जवाब में समिति को पंजीयन दिनांक से तालाब उपलब्ध नहीं होने, आडिट नहीं होने एवं अकार्यशील होने का लेख करते हुए परिसमापन में लाये जाने बाबत लेख किया है.

अतएव संस्था के सदस्यों के जवाब अनुसार मैं दिलीप जायसवाल, उप पंजीयक, सहकारी संस्थायें, बिलासपुर छत्तीसगढ़ शासन, सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक 15-23/15-02/2015/3 दिनांक 26-10-2017 के द्वारा रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियॉं जो मुझमें वेष्ठित है का प्रयोग करते हुये निषाद मछुवा सहकारी समिति मर्या. हरदी, पं. क्र. 302 दिनांक 10-8-2011 विकासखंड मस्तूरी जिला बिलासपुर (छ. ग.) को छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत् को परिसमापन में लाता हूँ तथा सहकारिता विस्तार अधिकारी मस्तूरी को उक्त अधिनियम की धारा 70 (1) के अंतर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

दिलीप जायसवाल,
उप पंजीयक .

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2018.